न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 52/2020 राजस्व अपील

1. रामस्वरूप पुत्र श्योबक्स जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 22.01.2020 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामस्वरूप मु. नं. 27/2020 अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री रामावतार गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 11.11.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्व पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नं. 94 रकबा 0.38 है. पर सम्वत 2076 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना कोई सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बगैर ही निर्णय पारित कर दिया व अपीलान्ट को दिनांक 22.1.2020 को 90 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के उक्त निर्णय दिनांक 22.01.2020 से व्यथित होकर अपील अपीलान्ट प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम उपनियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई जवाब व सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कोई सबूत

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नहीं हुई है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 22.01.2020 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने संवत 2076 में ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 0.38 है. पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को 90 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 22.01.2020 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 0.38 है. पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22.01.2020 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा मुकदमा नम्बर 27/2020 सरकार बनाम रामस्वरूप में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official